**ई.11011/02/2017-हिन्दी** 562/565

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय**

**(हिन्दी अनुभाग)**

****

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक 21.04.2017

सेवा में,

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार
समिति के सभी सदस्य।

**विषय: मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 15.03.2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त का प्रेषण।**

महोदय/महोदया,

माननीया जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 15.03.2017 को मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की संपन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न है। आपसे अनुरोध है कि कार्यवृत्त के संबंध में यदि आपकी कोई टिप्पणी/विचार हो तो तदनुसार मंत्रालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम.सी. भारदवाज)
**उप निदेशक (रा.भा.)**

संलग्नक: कार्यवृत्त

**प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेक्षित:-**

1. मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग/डेस्क/सैल।
2. मंत्रालय के सभी संगठन।
3. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री के निजी सचिव/ज.सं, न.वि. और गं. संरक्षण राज्य मंत्री के निजी सचिव।
4. सचिव (जल संसाधन) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (प्रशा.) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (पीपी) के निजी सचिव/आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी के निजी सचिव।
5. सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, कमरा संख्या 109, "ए" खंड, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. सम्पादक, भगीरथ पत्रिका, केन्द्रीय जल आयोग, 511 (एस) सेवा भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि कार्यवृत्त और फोटो, पत्रिका के अगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. निदेशक, एनआईसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को कार्यवृत्त मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

**माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री महोदया की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 15.03.2017 को सम्पन्न हुई तीसरी बैठक का कार्यवृत्त ।**

माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री महोदया की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में दिनांक 15.03.2017 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारंभ में सचिव (ज.सं., न.वि. और गं.सं.) महोदय ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं उपस्थित सभी सदस्यों और प्रतिभागियों का स्वागत किया और बैठक के कार्यक्रम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज के कार्यक्रम की शुरूआत सचिव (ज.सं., न.वि. और गं.सं.) महोदय के भाषण से होनी है, और सचिव महोदय को अपना स्वागत भाषण शुरू करने की दरख्वास्त की।

इसके मुताबिक सचिव (ज.सं., न.वि. और गं.सं.) महोदय ने अपना स्वागत भाषण शुरू किया। सचिव महोदय ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं उपस्थित सभी सदस्यों और प्रतिभागियों का स्वागत किया और अपने बिहार अनुभव के बारे में उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने हिन्दी पढ़ने और लिखने के लिए उस समय के दौरान स्वभाव विकसित किया था। आगे उन्होंने मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और समिति की बैठक की उपयोगिता के विषय में संक्षिप्त विवरण देते हुए माननीय अध्यक्ष महोदया से संबोधन का आग्रह किया।

अध्यक्ष महोदया ने अपने संबोधन में कहा कि यह संतोष का विषय है कि मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें हम समय पर करा पाने में सफल हो रहे हैं। उन्होंने समिति को बताया कि मंत्रालय में हिन्दी में काम-काज की दिशा में ठोस प्रयास हुआ है जो स्वागत योग्य और सम्मान योग्य है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय में हिन्दी के आसान और सरल शब्दों का प्रयोग बढ़ा है। पहले कई बार हिन्दी को समझने के लिए अंग्रेजी का पाठ देखने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अब इस दिशा में काफी ज्यादा सुधार आया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके भाषण, सम्बोधन, संदेश आदि भी सरल हिन्दी में तैयार किए जाने लगे हैं, इस प्रकार परिवर्तन देखने को मिला है। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने मंत्रालय में राजभाषा विभाग के अधिकारियों और अन्य कर्मियों की सराहना की और कहा कि उनकी समझ में, राजभाषा के प्रचार के संबंध में विदेश मंत्रालय के बाद जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय इस वक्त दूसरे स्थान पर है।

इसके बाद, अध्यक्ष महोदया की अनुमति से आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी महोदय ने बैठक की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए उपनिदेशक (रा.भा.) को बैठक की कार्यसूची की मदों को पढ़ने के लिए कहा। उपनिदेशक (रा.भा.) ने बताया कि दिनांक 19.10.2017 को हुई पिछली बैठक का कार्यवृत्त समिति के सभी माननीय सदस्यों तथा अन्य संबंधितों को दिनांक 29.11.2016 को भेज दिया गया था। किसी भी सदस्य/अधिकारी से इस संबंध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। अतः सर्वसम्मति से पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है और सभी सदस्यों की सहमति से पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

इसके बाद, उपनिदेशक (रा.भा.) ने पिछली बैठक में दिए गए सुझावों/लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की सूचना दी। इस पर टिप्पणी करते हुए समिति के सदस्य माननीय श्री भगवान दास पटरैया जी ने पिछली बैठक में दिए गए अपने सुझाव की पुनरावृत्ति करते हुए कहा कि मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का रोस्टर बनाया जाए और बाकायदा सर्कुलर जारी करके उन्हें हिन्दी की कार्यशालों में नामित किया जाए और इस प्रकार बारी-बारी सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यशालाओं के माध्यम से सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग के प्रति प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सकता है। उन्होंने मंत्रालय में तकनीकी विषयों पर 'मौलिक पुस्तक लेखन' योजना शुरू करने का भी सुझाव दिया।

(कार्रवाई मंत्रालय के सभी स्कंध एवं विभाग/सभी संगठन)

समिति के माननीय सदस्य श्री बेगराज खटाना जी ने दिनांक 19.10.2016 को हुई बैठक के निर्णयों के संबंध में हुई प्रगति की जानकारी मांगी और पिछली बैठक में अपने द्वारा 20,000 रूपए तक की राशि के चेक हिन्दी में जारी किए जाने के सुझाव के विषय में हुई प्रगति के बारे में जानना चाहा। इस पर उपनिदेशक (रा.भा.) महोदय ने बताया कि मंत्रालय के रोकड़ अनुभाग को इस आशय का पत्र भेजा गया है।

(कार्रवाई मंत्रालय के सभी स्कंध एवं विभाग/सभी संगठन)

माननीय सदस्य श्री विन्ध्यवासिनी कुमार जी द्वारा पिछली बैठक में दिए गए सुझाव कि "गंगा के किनारे नदी को साफ सुथरा रखने के विषय में हिन्दी में सुन्दर-सुन्दर स्लोगन, जानकारी, जागरूकता संबंधी बोर्ड लगाए जाएं", पर टिप्पणी करते हुए उपनिदेशक (रा.भा.) ने बताया कि गंगा के किनारे स्थित ज्यादातर राज्य हिन्दी भाषा/भाषी हैं, इस पर माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि बंगाल वाले यह कार्य बंगाली भाषा अर्थात स्थानीय भाषा में करेंगे। इस पर श्री पटरैया जी ने राजभाषा नियम का हवाला देते हुए बताया कि हिन्दीतर भाषा/भाषी राज्यों में इस तरह के कार्यों में पहले क्षेत्रीय भाषा, फिर

हिन्दी और उसके बाद अंग्रेजी भाषा (त्रिभाषा सूत्र) का प्रयोग होना चाहिए। श्री विन्ध्यवासिनी जी ने आगे कहा कि इस तरह का प्रचार-प्रसार कार्य हम हरिद्वार, काशी और प्रयाग से शुरू कर सकते हैं। उन्होंने नदी को साफ-सुथरा रखने के विषय में हिन्दी में प्रचार-सामग्री वितरित करने और स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव भी दिया।

(कार्रवाई मंत्रालय के सभी स्कंध एवं विभाग/सभी संगठन)

समिति की सदस्या माननीय श्रीमती शांताबाई जी ने देश में हिन्दी की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि दक्षिण के प्रांतों में तमिल, तेलगू, कन्नड़ आदि भाषा का प्रयोग होता है। उन्होंने अपनी संस्था कर्णाटक महिला हिन्दी सेवा समिति के संबंध में कहा कि यह संस्था पिछले 60 वर्षों से हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने इस मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानने की जोरदार मांग की। इस पर आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी महोदय ने आश्वासन दिया कि राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा बहुत काम किया गया है और उसके सुबूत के दस्तावेज पीपीटी में मौजूद हैं और श्रीमती शांतबाई जी ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बताते हुए इसे गौरव देना हम सबका कर्तव्य बताया। माननीय मंत्री महोदया ने उनसे आग्रह किया कि वे इस दिशा में अपने सभी सुझाव मंत्रालय को लिखित रूप में दें; और उन पर अमल करने का आश्वासन दिया।

(कार्रवाईः माननीया शांताबाई (सदस्य) एवं मंत्रालय के सभी स्कंध एवं विभाग और खासतौर से हिन्दी विभाग)

समिति के सदस्य माननीय तारेश जी ने मंत्री जी के दिनांक 04.08.2016 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उक्त आदेश के बावजूद भी मंत्रालय का एनएमसीजी संगठन मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग को अंग्रेजी सामग्री भेजकर उसका हिन्दी अनुवाद करवा रहा है जोकि मंत्री जी के उक्त आदेश की सरासर अवहेलना है। अध्यक्ष महोदय इसका संज्ञान लें। इस पर माननीय मंत्री महोदया ने एनएमसीजी को निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए और एनएमसीजी संगठन मूलरूप से हिन्दी में ही काम करें और अनुवाद का सहारा न लें।

(कार्रवाईः एनएमसीजी)

माननीय ताम्रध्वज साहू, संसद सदस्य जी ने कहा कि यदि राजभाषा संबंधी निरीक्षण प्रश्नावली को सामने रखकर कार्य किया जाए तो परिणाम अच्छे होंगे। उन्होंने कहा कि शब्दों को लेकर दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना है जो शब्द आम बोलचाल में प्रचलन में आ गए हैं, उनका प्रयोग करने से झिझकना नहीं चाहिए। उन्होंने मिसाल के तौर पर 'ट्रेन लेट' जैसे शब्दों का हवाला दिया और कहा कि ये हिन्दी भाषा में सहजता से अपना लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार और विज्ञापन पर 50 प्रतिशत राशि हिन्दी में प्रचार-प्रसार पर और इसी प्रकार पुस्तकालय के लिए रखे गए बजट में से 50 प्रतिशत राशि हिन्दी की पुस्तकों की खरीद पर खर्च करना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि **'इसरो'** जैसे अत्यधिक तकनीकी संगठन में 95 प्रतिशत कार्य हिन्दी में होता है, इसलिए मंत्रालय में हिन्दी पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए।

(कार्रवाईः मंत्रालय के सभी स्कंध एवं विभाग और खासतौर से आईईसी व लाइब्रेरी/संगठन)

श्री पटरैया जी ने केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली द्वारा धारा 3(3) के अंतर्गत जारी दस्तावेजों की संख्या पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि इसकी पुष्टि कर ली जाए कि क्या वाकई में इतनी संख्या में पत्र जारी किए गए हैं?

(कार्रवाईः मंत्रालय के सभी स्कंध एवं विभाग/केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला)

समिति की सदस्या माननीय तपन तोमर जी ने हिन्दी के प्रयोग में डर और झिझक को दूर करने का सुझाव दिया और यह भी सुझाव दिया कि जो लोग कार्यालयों में आम जीवन की भाषा का प्रयोग करते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। उन्होंने गंगा के विषय में हिन्दी में स्लोगनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने मंत्री महोदया के आग्रह पर एक उत्कृष्ट कविता का पाठ भी किया।

(कार्रवाईः मंत्रालय के सभी स्कंध एवं विभाग/संगठन)

माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

*****

**मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 15.03.2017 को हुई बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | सुश्री उमा भारती<br>जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री | अध्यक्ष |
| 2 | डॉ. संजीव कुमार बालियान<br>जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |
| 3 | सचिव<br>जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय | सदस्य |
| 4 | श्री ताम्रध्वज साहू,<br>सांसद | सदस्य |
| 5 | श्री भगवान दास पटरैया | सदस्य |
| 6 | श्रीमती शांताबाई | सदस्य |
| 7 | श्री विन्ध्यवासिनी कुमार | सदस्य |
| 8 | श्री बेगराज खटाना | सदस्य |
| 9 | श्रीमती तपन तोमर | सदस्य |
| 10 | श्री तारेश | सदस्य |
| 11 | श्री नरेन्द्र कुमार<br>अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी | सदस्य |
| 12 | श्री के.बी. विश्वास<br>अध्यक्ष, सीजीडब्ल्यूबी | सदस्य |
| 13 | श्री अखिल कुमार<br>संयुक्त सचिव (प्रशा.) | सदस्य |
| 14 | श्री राजदेव सिंह<br>निदेशक, एनएचआई, रूड़की | सदस्य |
| 15 | श्री हसन अब्दुलाह,<br>निदेशक, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला | सदस्य |
| 16 | श्री देवेन्द्र प्रताप मथुरिया<br>सदस्य-सचिव, यूवाईआरबी | सदस्य |
| 17 | श्री आर.के. जैन<br>मुख्य अभियंता, एनडब्ल्यूडीए | प्रतिनिधि |

| | | |
|---|---|---|
| 18 | श्री अनुपम मिश्रा<br>कार्यकारी निदेशक, वाप्कोस | प्रतिनिधि |
| 19 | श्रीमती मंजुला सक्सेना<br>उप-सचिव (रा.भा. वि-गृह मंत्रालय) | प्रतिनिधि |
| 20 | श्री मनोहर कुमार | -"- |
| 21 | श्री अखिलेश मिश्रा | -"- |
| 22 | डॉ. बी.के. सिंह | -"- |
| 23 | श्रीमती अर्चना गुप्त | -"- |
| 24 | श्रीमती गीता शर्मा | -"- |
| 25 | श्री संदीप कुमार | -"- |
| 26 | श्री विमल कुमार पाण्डेय | -"- |
| 27 | आर संपत | -"- |
| 28 | श्री के.एम.एम. अलिमाल्मिगोति<br>आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी | सदस्य-सचिव |
| 29 | श्री एम.सी भारद्वाज,<br>उपनिदेशक (रा.भा.) | -"- |
| 30 | श्रीमती वीना सत्यवादी<br>सहायक निदेशक (रा.भा.) | -"- |
| 31 | श्रीमती श्रद्धा माथुर<br>सहायक निदेशक (रा.भा.) | -"- |